मामला का तात्पर्य यह कतई नहीं है कि मामला पूर्णतया साबित कर दिया जाये क्योंकि यह साक्ष्य का विषय है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण/सायलान यह साबित करने में विफल रहे है कि किस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण/सायलान के पक्ष में है। फलतः यह बिन्दू सायलान के पक्ष में साबित नहीं होता है।

2. **सुविधा का संतुलन व अपुरणीय क्षतिः–** चुंकि प्रथम दृष्टया प्रकरण सायलान के विरूद्ध साबित हुआ है साथ ही वादग्रस्त आराजी में सायलान/गैरसायलान वादग्रस्त आराजी में खातेदार काश्तकार के रूप में दर्ज नहीं है अतः सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति सायलान के पक्ष में निहित होना नहीं माना जा सकता। चूंकि सायलान उक्त वादग्रस्त आराजी में खातेदार काश्तकार के रूप में ही दर्ज नहीं है अतः किसी विशिष्ट भू–भाग पर सायलान को सुविधा का संतुलन होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। अतः यह बिन्दू सायलान के विरूद्ध साबित होता है।

उपर्युक्त बिन्दूवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि हस्तगत प्रकरण सायलान/वादीगण के पक्ष में बखूबी साबित नहीं होने से अस्वीकार किया जाना विधिसंगत होगा।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र सायलान/वादीगण अन्तर्गत धारा– 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 मय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 व सपठित धारा 151 सीपीसी सायलान के पक्ष में बखूबी साबित नहीं होने तथा सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली इसी माफिक निर्णीत होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक), जैतारण
जिला–पाली (राज0)

निर्णय आज दिनांक 28.08.2025 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक), जैतारण
जिला–पाली (राज0)